न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2021 **दायर दिनांकः 01/02/2021**

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री शिवराम जाति किराड़ (मेहता) निवासी किराड बस्ती नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश

दिनाक : 19/07/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 134 का ख0नं0 969/27 की 1.53 है0 आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वाके ग्राम व माल भोजूखेडी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का ख0नं0 234/18 की 0.04 है0 एवं ख0नं0 240/14 की 1.38 है0 कुल दो किता की 1.42 है0 आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारीगण की लापरवाही के कारण बन्दोबस्त [illegible] य वादी का नाम सहवन से राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम के स्थान पर नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम [illegible] हो गया है। जो कि गलत दर्ज हो गया है। जिसे वादी दुरूस्त करवाकर नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में वादी को के.सी.सी. ऋण प्राप्त करने में एवं राज्य सरकार दी जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में काफी कठीनाईयों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:22 IST
Reason: SelfAttested

का सामना करना पड़ रहा है। जबकि वादी का नाम ग्राम पंचायत कनोटिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र में व परिवार राशन कार्ड व आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजात में राजेन्द्र कुमार ही दर्ज है। जिस आधार पर वादी उपरोक्त सभी दस्तावेजात को लेकर दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादी के समक्ष नाम दुरूस्त करवाने हेतु गया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम खाते में दुरूस्त करने से इन्कार करते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इसलिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद कारण प्रथम व अन्तिम बार दिनांक 15.01. 2021 को वादी का नाम वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित आराजी में गलत नाम नरेन्द्र कुमार के स्थान पर दुरूस्त करवाकर राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम करवाने हेतु अपने शैक्षणिक दस्तावेजात, परिचय पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत कनोटिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर खाते में नाम दुरूस्त करने का प्रतिवादी से निवेदन करने पर व उसके द्वारा इन्कार करते हुए माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय में सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त भूमि ग्राम व माल कटावर व भोजूखेडी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से व वाद घोषणा व नाम दुरूस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें किः–

(अ) वाद पत्र कर मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 134 का ख0नं0 969/27 रकबा 1.53 है0 एवं ग्राम व माल भोजूखेडी तहसील अटरू की खाता संख्या 43 की कुल किता 2 की 1.42 है0 आराजी में वादी का नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम के बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र [illegible] दर्ज करवाते हुये इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाब[illegible] प्रतिवादी को आदेश प्रदान किये जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:22 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1, Pw_2 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा रिकार्ड प्रदर्शित किया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि में खातेदार राजेन्द्र कुमार के स्थान पर नरेन्द्र कुमार दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू में खाता संख्या 134 का ख0नं0 969/27 की 1.53 है0 आराजी में वादी का नाम खातेदार नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम जाति किराड़ दर्ज है। इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम व माल भोजूखेडी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का ख0नं0 234/18 की 0.04 है0 एवं ख0नं0 240/14 की 1.38 है0 कुल दो किता की 1.42 है0 आराजी में वादी का नाम खातेदार नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम जाति किराड़ दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत कनोटिया का प्रमाण पत्र दिनांक 07.05.2018 के अनुसार राजेन्द्र मेहता उर्फ नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम मेहता एक ही व्यक्ति है तथा भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा की पास बुक, टी.सी. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनोटिया 19.08.2020, में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम दर्ज है। इस बाबत् प्रार्थी द्वारा 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

अतः साक्ष्य एवं रिकार्ड के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

::क्रियात्मक आदेश::

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:22 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कटावर तहसील अटरू में खाता संख्या 134 का ख0 नं0 969/27 की 1.53 है0 तथा ग्राम व माल भोजूखेडी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का ख0 नं0 234/18 की 0.04 है0 एवं ख0नं0 240/14 की 1.38 है0 कुल दो किता की 1.42 है0 आराजी में वादी का नाम

नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम दर्ज है। उक्त खातों में नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम के स्थान पर सही नाम नरेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 20/2021

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री शिवराम जाति किराड़ (मेहता) निवासी किराड बस्ती नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................
बहाजिर :–
वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।
प्रतिवादी:– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कटावर तहसील अटरू में खाता संख्या 134 का ख0 नं0 969/27 की 1.53 है0 तथा ग्राम व माल भोजूखेडी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का ख0 नं0 234/18 की 0.04 है0 एवं ख0नं0 240/14 की 1.38 है0 कुल दो किता की 1.42 है0 आराजी में वादी का नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम दर्ज है। उक्त खातों में नरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम के स्थान पर सही नाम नरेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **19/07/2021** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प वकालत नाम	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:22 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)